सूचना का अधिकार
संख्या–349/XXVII(9)/स्टाम्प/2008

प्रेषक,

आलोक कुमार जैन,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक निबन्धन,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

वित्त अनुभाग– 9 देहरादूनः दिनांक 19 फरवरी, 2008

विषयः– अपील संख्या–453/2007 में उत्तराखण्ड सूचना आयोग द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.11.2007 का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड सूचना आयोग में सचिव ईको वॉच सोसाईटी, 11 चन्दर रोड, डालनवाला, देहरादून द्वारा प्रस्तुत अपील संख्या–453/2007 में दिनांक 28.11.2007 को पारित निर्णय में मा0 मुख्य सूचना आयुक्त द्वारा यह निर्देश दिये गये हैं कि जिस स्थान पर स्टाम्प विक्रेता स्टाम्प पेपर की ब्रिकी के लिये अधिकृत हो उस स्थान के निकट पर्याप्त आकार का एक सूचना पट्ट इस आशय से लगाया जाना चाहिए, जिसमें यह स्पष्ट रूप से वर्णित हो कि स्टाम्प पेपर निर्धारित राशि का ही क्रय किया जाये और यदि स्टाम्प विक्रेताओं द्वारा निर्धारित राशि से अतिरिक्त धनराशि की मांग की जाती है, तो उसकी शिकायत जिलाधिकारी द्वारा नामित किसी व्यक्ति को की जा सके।

सूचना के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत जो नियम प्रख्यापित हुए हैं, उसमें 10 रूपये के नॉन जूडीशियम स्टाम्प पेपर को भी सूचना के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रार्थना शुल्क के रूप में मान्यता दी गयी है और अग्रेतर जो अतिरिक्त प्रभार है, उनका भुगतान भी अब स्टाम्प पेपर शुल्क के रूप मे ही उतनी राशि के समानुपात में किया जा सकता है। इस प्रकार से यह परमावश्यक है कि स्टाम्प पेपरों की जो बिक्री की व्यवस्था की जाये, उसमें यह व्यवस्था अवश्य सुनिश्चित की जाये कि स्टाम्प पेपर के सापेक्ष निहित राशि ही स्टाम्प पेपर विक्रेता को दी जाये। स्टाम्प नियमावली के नियम 170 में यह स्पष्ट व्यवस्था है कि प्रत्येक स्टाम्प विक्रेता विक्रय स्थल के पास एक सूचना पट्ट लगायेगा जिसमें स्टाम्प विक्रेता का नाम तथा "सामान्य या/और न्यायालय फीस स्टाम्प का लाइसेन्सधारी विक्रेता" अंकित किया जायेगा। स्टाम्प विक्रेता स्टाम्प नियमावली के साथ अपने द्वारा बेचे जाने वाले स्टाम्पों को निर्दिष्ट करने वाले अधिनियमों को इस प्रकार रखेगा कि क्रेताओं द्वारा वे आसानी से देखें व पढ़े जा सके। इसी प्रकार स्टाम्प नियमावली के नियम 173 के अनुसार कोई स्टाम्प विक्रेता किसी स्टाम्प के लिये उस पर अंकित वास्तविक मूल्य से अधिक न तो मांगेगा और न ही स्वीकार करेगा तथा नकद मूल्य के बदले किसी व्यक्ति की मांग पर उसे अविलम्ब स्टाम्प प्रदान करेगा। स्टाम्प नियमावली में इस प्रकार के स्पष्ट प्राविधान होने के बावजूद स्टाम्प विक्रेताओ द्वारा निर्धारित राशि से अधिक धनराशि की मांग की जाती है जो उचित नहीं है।

अतः समस्त जिलाधिकारियों द्वारा लिखित आदेश के माध्यम से यह व्यवस्था सुनिश्चित कर ली जाये कि वे अपने–अपने जनपदों में जिस भी स्थान पर स्टाम्प विक्रेता स्टाम्प पेपर

बिक्री के लिए अधिकृत किये गये हों, ऐसे स्थानों पर पर्याप्त आकार के नोटिस बोर्ड लगवाये जिनमें यह स्पष्ट रूप से उल्लेख होगा कि स्टाम्प पेपर केवल निर्धारित राशि पर ही बेचा जायेगा और यदि किसी व्यक्ति को स्टाम्प विक्रेता द्वारा अंकित राशि से अतिरिक्त मूल्य वसूल किये जाने की शिकायत होगी, तो वह जिलाधिकारी द्वारा नामित कलैक्ट्रेट के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी/प्रशासनिक अधिकारी को शिकायत करेगा और ऐसी प्रत्येक शिकायत की अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) के स्तर पर तत्काल जांच करके ऐसी शिकायतों के सम्बन्ध में प्रभावी कार्यवाही की जायेगी। इस आशय के निर्देश राज्य के समस्त मण्डलायुक्तों और समस्त जिलाधिकारियों को भी प्रेषित किये जा रहे हैं कि वे भी अपने स्तर से स्टाम्प विक्रताओं के सम्बन्ध में और प्रत्येक कार्यालय में, जहां–जहां स्टाम्प बिक्री की व्यवस्था है वहां–वहां इस सम्बन्ध में प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित करायेंगे और समय–समय पर उसका आकस्मिक परीक्षण भी सुनिश्चित किया जायेगा।

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही कराये जाने हेतु अपने स्तर से समस्त सम्बन्धित को निर्देश निर्गत कराया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(आलोक कुमार जैन),
प्रमुख सचिव, वित्त।

संख्या–35 (2)/XXVII(9)/स्टाम्प/2008/तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– सचिव, उत्तराखण्ड सूचना आयोग, देहरादून।
2– मण्डलायुक्त, गढ़वाल, पौड़ी/कुमांऊ, नैनीताल।
3– समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

15/2/08

(एल0एम0 पन्त)
अपर सचिव।

महानिरीक्षक निबन्धन/आयुक्त स्टाम्प
उत्तराखण्ड, देहरादून।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी
उत्तराखण्ड।

पत्रांक : 479 /म0नि0नि0/2007-08 दिनांक : 23 फरवरी, 2008

विषय : *अपील संख्या- 453/2007 में उत्तराखण्ड सूचना आयोग द्वारा पारित निर्णय दि0 28.11.2007 का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में।*

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासन के पत्र सं0- 34(1)/XXVII(9)/स्टाम्प/2008 दिनांक 18.02.2008 जो मुझे संबोधित तथा आपको पृष्ठांकित है का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

इस संदर्भ में मा0 मुख्य सूचना आयुक्त द्वारा दिये गये निर्देशो के कम में आपको अवगत कराना है कि आप अपने जनपदों मे यह व्यवस्था सुनिश्चित कर लें कि प्रत्येक स्टाम्प विक्रेता अपने स्टाम्प बिक्री के स्थान पर पर्याप्त आकार का एक बोर्ड लगवाये जिसमें यह स्पष्ट लिखा जाय कि स्टाम्प पेपर केवल अंकित मूल्य पर ही बेचा जायेगा और यदि स्टाम्प विक्रेता द्वारा अंकित मूल्य से अधिक की धनराशि माँगे जाने की शिकायत होगी तो ऐसी शिकायत जिलाधिकारी द्वारा नामित कलक्ट्रेट के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी/प्रशासनिक अधिकारी को की जायगी और एसी प्रत्येक शिकायत की अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)/जिला स्टाम्प अधिकारी के स्तर पर तत्काल जाँच करके शिकायत के संबंध में प्रभावी कार्यवाही की जायगी। उपरोक्त बोर्ड पर जिलाधिकारी/ अपर जिलाधिकारी/जिला स्टाम्प अधिकारी के कार्यालय का दूरभाष नम्बर भी अंकित करवा लिया जाय।

स्टाम्प विक्रेताओं के विक्रय रजिस्टर के निरीक्षण के संबंध में पूर्व में इस कार्यालय के पत्र दि0 22.12.2007 (प्रति संलग्न) द्वारा समस्त जिला निबन्धकों को निर्देशित किया जा चुका है जिसकी अनुपालन आख्या जनपद ऊधमसिंह नगर के अतिरिक्त किसी भी जनपद से प्राप्त नहीं हुई है।

इस सम्बन्ध में आपका ध्यान स्टाम्प नियमावली, 1942 के अध्याय 4 की ओर आकृष्ट किया जाता है जिसमें स्टाम्पों के विक्रय के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई है। जिसमें स्टाम्प विक्रेताओं द्वारा सूचना पट्ट लगाया जाना अनिवार्य है तथा स्टाम्प पर अंकित मूल्य से अधिक धनराशि की माँग किया जाना भी निषिद्ध किया गया है किन्तु फिर भी स्टाम्प विक्रेताओं द्वारा निर्धारित धनराशि से अधिक धनराशि माँग की जा रही है जिस पर अंकुश लगाया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

अत: अनुरोध है कि प्रमुख सचिव वित्त द्वारा दिये गये निर्देशो का अनुपालन कर अनुपालन आख्या अधोहस्ताक्षरी को यथाशीघ्र प्रेषित करने का कष्ट करें जिससे शासन को इस संबंध में आख्या प्रेषित की जा सकें।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय
22/2/2008
(एल0एम0 पन्त)
महानिरीक्षक निबन्धन/आयुक्त स्टाम्प
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक : संख्या एवं दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
2. निदेशक कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. समस्त जिला-निबन्धक/जिला स्टाम्प अधिकारी; उत्तराखण्ड।
4. समस्त उप-आयुक्त/सहायक आयुक्त स्टाम्प, उत्तराखण्ड।

(ए0के0 पान्डे) 22/2/08
उप-महानिरीक्षक निबन्धन/उप-आयुक्त स्टाम्प
(मुख्यालय)
उत्तराखण्ड, देहरादून।